

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग-01
संख्या-461 /XV-I/19/2(9)/2019
देहरादून : 14 मई, 2019

जावे/सुन्दरम
14-5-19

कार्यालय-ज्ञाप

कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-122/XXX(2)/19/30(11)/2018दि0 02, मई, 2019 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु पशुपालन विभाग में शासन स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण के प्रयोजनार्थ निम्नवत् स्थाई स्थानान्तरण समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|---|--|---------|
| 1 | सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन | अध्यक्ष |
| 2 | अपर सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| 3 | श्री सुनील सिंह पान्थरी, अपर सचिव, गृह एवं आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| 4 | निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड | सदस्य |

(आर0 मीनाक्षी/सुन्दरम)
सचिव।

संख्या : 461 /XV-I/19/2(9)/2019, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलालयुक्त कुमौऊ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौडी।
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमौऊ मण्डल, नैनीताल /गढवाल मण्डल, पौडी।
8. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

मायावती
(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव।